



सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्यपरिषद की अनुमति से श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद को बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम (100 सीट्स) में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2016-17 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी०सी०आई०एम०/मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के रेगुलेशन एवं अन्य दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
4. संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सुसंगत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) के संगत प्राविधान के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के पश्चात ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जायेगा।
7. चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक/सचिव, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाऊपुर, बेबर रोड, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, ए-रेडक्रास रोड, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 61-65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
6. परीक्षा निगंत्रक, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी०एस०जे०एम०वि०, कानपुर
8. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।
9. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०विश्वविद्यालय, कानपुर।

(राम चन्द्र अवस्थी)
कुलसचिव